

अवैध प्लाटिंग पर चला निगम का बुलडोजर

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई के जोन क्रमांक 02 के जोन आयुक्त , भवन अनुज्ञा अधिकारी के नेतृत्व में भिलाई शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों के रिक्त भूमि को अज्ञात तत्वों द्वारा घेरकर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध मंगलवार को वृहद बेदखली अभियान चलाकर कुरुद , कोहका में 6 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया एवं पहुंच मार्ग को ध्वस्त कर भूमि को मूल स्वरूप में लाया गया। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर निगम की टीम ने मंगलवार को ग्राम कुरुद से चन्दुलाल चन्द्राकर मेमोरियल अस्पताल जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ किये गये अवैध प्लाटिंग के पहुंच मार्ग को जेसीबी से उखाड़कर प्लाट को मूल स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 6 एकड़ की भूमि में किये गये अवैध प्लाटिंग के मुरुम डालकर प्लाटो की पहचान के लिए लगाये गये खुंटो को भी जेसीबी से हटाया गया। इस दौरान कोई भी व्यक्ति प्लाट की दावेदारी करने उपस्थित नहीं हुए भवन अधिकारी ने कहा है कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आयुक्त श्री सुंदरानी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्रों में भूखण्ड का क्रय-विक्रय न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। उन्होने आगे कहा कि भविष्य में अवैध कालोनी एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान निगम का राजस्व अमला , जोन आयुक्त , भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारी, एवं तोड़फोड़ दस्ता के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

